प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 1194/1989

आवेदक - मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़)

बनाम

अनावेदक - विजय कुमार, आयु लगभग 40 वर्ष, पिता बनवारीलाल जैन, खाद्य निरीक्षक, निवासी – चिखली, राजनांदगांव, तहसील एवं जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

....

उपस्थित:

राज्य/अपीलार्थी की ओर से श्री अरुण साव, शासकीय अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से श्री पी. दिवाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री आर.के. जैन, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

....

निर्णय

(22.03.2007)

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(3) के अंतर्गत अनुमति प्रदान किए जाने पर, राज्य ने विशेष प्रकरण क्रमांक 7/87 में विशेष न्यायाधीश, राजनांदगांव (म.प्र.) द्वारा दिनांक 08 जून 1989 को पारित दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की है।

(2) अभियोजन का प्रकरण यह है कि वर्ष 1986 में प्रत्यर्थी डोंगरगढ़ में खाद्य निरीक्षक के पद पर पदस्थ था और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 5(1)(घ) एवं 5(2) के प्रयोजनों के लिए वह एक लोक सेवक था। परिवादी भुवनलाल (अ.सा.-1) दूध विक्रेता था। दिनांक 20.06.1986 को उसने पुलिस अधीक्षक

(विशेष पुलिस स्थापना), रायपुर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की, जिसमें यह आरोप लगाया कि प्रत्यर्थी ने उसे 2-3 बार अपने डोंगरगढ़ स्थित घर पर बुलाया और उससे 300/- रुपये की मांग की, यह कहते हुए कि यदि राशि नहीं दी गई तो वह उसके दूध का नमूना लेगा। उक्त शिकायत पर एक ट्रैप की कार्यवाही आयोजित की गई। ट्रैप दल, जिसमें निरीक्षक जी.पी. त्रिपाठी (अ.सा.-9), नायब तहसीलदार जे.एम. शुक्ला (अ.सा.-2), अधीक्षक भू-अभिलेख ए.के. खान तथा आरक्षक बी. लक्ष्मैया (अ.सा.-6) शामिल थे, ने परिवादी भुवनलाल (अ.सा.-1) के माध्यम से प्रत्यर्थी को 300/- रुपये अवैध पारिश्रमिक के रूप में देते हुए ट्रैप किया। अभियोजन के अनुसार 300/- रुपये की मुद्रा को फिनॉल्फ्थेलीन पाउडर से उपचारित किया गया था और उसे परिवादी को प्रत्यर्थी को देने हेतु सौंपा गया। परिवादी द्वारा उक्त राशि प्रत्यर्थी को दे दी गई। इसके पश्चात ट्रैप दल द्वारा प्रत्यर्थी के घर की तलाशी ली गई, जिसमें उक्त मुद्रा नोट घर के भीतर अलमारी के ऊपर रखे हुए पाए गए। फिनॉल्फ्थेलीन परीक्षण आदि औपचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरांत विवेचना संपन्न की गई और तत्पश्चात अधिनियम की धारा 6(1)(ग) के अंतर्गत शासन से अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त कर प्रत्यर्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(3) विचारण के दौरान, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, प्रत्यर्थी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 5(1)(घ) सहपठित धारा 5(2) के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए गए, जिन्हें प्रत्यर्थी ने अस्वीकार किया। फलस्वरूप, अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य अभिलिखित किए गए और विचारण पूर्ण होने के पश्चात प्रत्यर्थी को दोषमुक्त कर दिया गया।

(4) विशेष न्यायालय ने मुख्यतः इस आधार पर प्रत्यर्थी को दोषमुक्त किया कि अभियोजन यह स्थापित नहीं कर सका कि प्रत्यर्थी ने भ्रष्ट अथवा अवैध साधनों का उपयोग करते हुए अथवा लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए परिवादी से 300/-रुपये की अवैध राशि प्राप्त की। विशेष न्यायालय ने भुवनलाल (अ.सा.-1) के साक्ष्य को विभिन्न आधारों पर अविश्वसनीय माना। उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने का पहला आधार, आक्षेपित निर्णय के कंडिका 15 में दर्शाए अनुसार,

उसके कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास थे। ये दो विरोधाभास इस प्रकार हैं- (i) अपनी शिकायत में इस साक्षी ने कहा कि वह संबंधित समय में दूध बेच रहा था, परंतु अपने साक्ष्य में उसने इस तथ्य से इंकार किया कि वह उस अवधि में दूध बेच रहा था; (ii) अपने साक्ष्य में उसने कहा कि अभियुक्त उससे पहली बार दिनांक 18.06.1986 को मिला, जब पैसे की मांग की गई, जबकि अपने पुलिस केस डायरी कथन में उसने कहा था कि अभियुक्त उससे ट्रैप की तिथि से 2-3 माह पूर्व मिला था। विशेष न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि यदि वास्तव में अभियुक्त उससे ट्रैप की तिथि से 2-3 माह पूर्व मिला होता, तो वह इतने समय तक मौन नहीं रहता और पहले ही इस बात की शिकायत करता। अतः भुवनलाल (अ.सा.-1) का यह कथन कि अभियुक्त उससे मिला और उससे धन की मांग की, संदिग्ध प्रतीत होता है। विशेष न्यायालय ने आगे यह भी माना कि इस साक्षी के कथन से प्रतीत होता है कि ट्रैप के दिन वह प्रत्यर्थी के घर पहुँचा, सीधे भीतर गया और कुछ ही सेकंड में बाहर आ गया; जबकि उसके कथन के कंडिका 73 में यह उल्लेख है कि वह कमरे में रखी बेंच पर बैठा था। इस आधार पर यह माना गया कि मात्र 2 सेकंड में किसी व्यक्ति का घर में जाकर रिश्वत देकर लौट आना संभव नहीं है। विशेष न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि उसके कथन के कंडिका 60 में उसने कहा कि प्रत्यर्थी उससे घर के बाहर मिला था, जबकि यह तथ्य उसके केस डायरी कथन में अंकित नहीं था, न ही यह कि प्रत्यर्थी ने उसे बेंच पर बैठने को कहा था। न्यायालय ने यह भी देखा कि भुवनलाल (अ.सा.-1) के अनुसार ट्रैप के समय प्रत्यर्थी अपने ड्राइंग रूम में अकेला था और उसने उसे पैसे दिए, जिन्हें उसने अलमारी के ऊपर रख दिया, जहाँ एक पंजीयक भी रखा हुआ था। इस स्थिति में यह अधिक संदिग्ध प्रतीत होता है कि अभियुक्त ने मुद्रा को अपनी जेब में रखने या अलमारी के अंदर रखने के बजाय अलमारी के ऊपर क्यों रखा। इन सभी परिस्थितियों एवं साक्षी भुवनलाल (अ.सा.-1) के आचरण को ध्यान में रखते हुए, विशेष न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि ये परिस्थितियाँ उसके इस कथन पर संदेह उत्पन्न करती हैं कि अभियुक्त ने उससे मुद्रा प्राप्त कर उसे अलमारी के ऊपर रखा था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(5) भुवनलाल (अ.सा.-1) के कथन का परीक्षण ट्रैप दल के अन्य साक्षियों के साक्ष्य के आलोक में भी किया गया और अंततः, इस साक्षी के साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने के कारणों को अभिलिखित करते हुए, विशेष न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रथम, वे परिस्थितियाँ जिनके कारण ट्रैप की कार्यवाही की गई, संदिग्ध हैं; द्वितीय, अभियुक्त को धनराशि सौंपे जाने का तथ्य भी संदिग्ध है; और अंततः, बिंदु क्रमांक 1 पर निष्कर्ष देते हुए यह कहा गया कि यह सिद्ध नहीं हुआ कि अभियुक्त/प्रत्यर्थी ने भुवनलाल (अ.सा.-1) से 300/- रुपये अथवा कोई अन्य राशि अवैध पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त की।

(6) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बुध सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2006) 9 एससीसी 731 के कंडिका 9 में यह अभिनिर्धारित किया है कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में उच्च न्यायालय सामान्यतः ऐसे मामले में दोषमुक्ति के निर्णय को निरस्त नहीं करता, जहाँ दो दृष्टिकोण संभव हों, भले ही अपीलीय न्यायालय का दृष्टिकोण अधिक संभावित प्रतीत होता हो। तथापि, दोषमुक्ति के निर्णय से निपटते समय, उच्च न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का परीक्षण करने के लिए स्वतंत्र है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण विकृत है अथवा अन्यथा संधारणीय नही है। यह भी देखा जा सकता है कि क्या तथ्यात्मक निष्कर्ष पर पहुँचते समय विचारण न्यायालय ने ग्राह्य साक्ष्य पर विचार करने में चूक की है या विधि के प्रतिकूल साक्ष्य को ध्यान में रखा है। इसी प्रकार, सबूत के भार का गलत निर्धारण भी अपीलीय न्यायालय की समीक्षा का विषय हो सकता है।

(7) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *टी.एन. रथीश बनाम केरल राज्य, एआईआर 2006 एससी 2667* के मामले में यह भी अभिनिर्धारित किया है कि जिस साक्ष्य के आधार पर दोषमुक्ति का आदेश पारित किया गया है, उसका पुनरीक्षण करने पर अपीलीय न्यायालय पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सामान्यतः दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाता, क्योंकि अभियुक्त के निर्दोष होने की धारणा दोषमुक्ति से और अधिक सुदृढ़ हो जाती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि आपराधिक न्याय प्रशासन की संपूर्ण प्रक्रिया में यह स्वर्णिम सिद्धांत निहित है कि यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो दृष्टिकोण संभव हों—एक अभियुक्त के दोषी होने की ओर संकेत करता हो और दूसरा उसकी निर्दोषता की ओर—तो वह दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जो अभियुक्त के पक्ष में हो। न्यायालय का सर्वोपरि उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय का हनन न हो। दोषी के बरी हो जाने से उत्पन्न न्याय का हनन भी उतना ही गंभीर है जितना कि किसी निर्दोष के दोषसिद्ध हो जाने से। ऐसे मामलों में, जहाँ ग्राह्य साक्ष्य की उपेक्षा की गई हो, अपीलीय न्यायालय पर यह दायित्व है कि वह दोषमुक्ति के मामलों में साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या वास्तव में अभियुक्त ने कोई अपराध किया है या नहीं। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने **भगवान सिंह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2002 (2) सुप्रीम 567)** के निर्णय का भी अवलंब लिया। आगे यह भी कहा गया कि दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय को केवल तब ही हस्तक्षेप करना चाहिए जब इसके लिए ठोस एवं पर्याप्त कारण विद्यमान हों। यदि आक्षेपित निर्णय स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त हो तथा सुसंगत एवं विश्वसनीय साक्ष्यों को अनुचित रूप से अनदेखा किया गया हो, तो यह हस्तक्षेप का पर्याप्त आधार बनता है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों का उल्लेख किया है, जैसे— ***शिवाजी साहबराव बोबड़े व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (एआईआर 1973 एससी 2622), रमेश बाबूलाल दोशी बनाम गुजरात राज्य (1996 (4) सुप्रीम 167), जसवंत सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2000 (3) सुप्रीम 320), राज किशोर झा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2003 (7) सुप्रीम 152), पंजाब राज्य बनाम करनैल सिंह (2003 (5) सुप्रीम 508) तथा पंजाब राज्य बनाम पोहला सिंह एवं अन्य (2003 (7) सुप्रीम 17)***।

(8) यदि उपर्युक्त संदर्भित प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों का परीक्षण किया जाए, तो प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि विशेष न्यायालय द्वारा यह लिया गया दृष्टिकोण

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कि भुवनलाल (अ.सा.-1) का साक्ष्य अविश्वसनीय प्रतीत होता है, पूर्णतः अविवेकपूर्ण नहीं है। अतः इसे एक संभावित दृष्टिकोण कहा जा सकता है, जो उपलब्ध संभावित दृष्टिकोणों में से एक है, जिसे विशेष न्यायालय ने अपनाया है। इसके अतिरिक्त, यह भी ऐसा प्रकरण प्रतीत नहीं होता जिसमें किसी ग्राह्य साक्ष्य की उपेक्षा की गई हो या न्याय के हनन को रोकने हेतु हस्तक्षेप आवश्यक हो। विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित ऐसे निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए कोई ठोस एवं पर्याप्त कारण भी विद्यमान नहीं हैं, विशेषतः जब यह स्पष्ट रूप से अविवेकपूर्ण नहीं प्रतीत होता और निर्णय तक पहुँचने की प्रक्रिया में किसी सुसंगत एवं विश्वसनीय साक्ष्य को अनुचित रूप से बाहर नहीं किया गया है।

(9) इस न्यायालय की राय में, विशेष न्यायालय ने एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाया है और ऐसा निष्कर्ष अभिलिखित किया है, जो इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में विधि के अनुरूप संभव दृष्टिकोणों में से एक है। अतः वर्ष 1986 में कथित अपराध के संबंध में वर्ष 1989 में पारित निर्णय में अभिलिखित निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण मुझे नहीं प्रतीत होता।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(10) राज्य द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई सार नहीं है। अतः इसे खारिज किया जाना उचित है और तदनुसार खारिज की जाती है। विशेष न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का निर्णय पुष्ट किया जाता है।

सही/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं

यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur